



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5692

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45121 / 2025

अब्दुल समद @ बल्लूआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार जायसवाल, राजेंद्र प्रताप सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री अनिल कुमार जायसवाल, आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, और श्री संजीव सिंह, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री दीपक कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने की, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 143 / 2024, बी.एन.एस. की धारा 103(1) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन, थाना - कोतवाली, जिला - मेरठ में विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहते हुए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथित अपराध से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी, मोहम्मद शुएब कुरेशी और लाला, स्वाभाविक या सच्चे प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं क्योंकि वे घटना हो जाने के पश्चात ही घटनास्थल पर पहुंचे बताए जाते हैं।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 30.09.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की सहायता से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया है कि दो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके बयान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा संलग्न नहीं किए गए हैं। घटना के दो घंटे से भी कम समय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट की शीघ्रता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता।
8. जमानत आवेदन तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।
9. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और एक अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र शीघ्रता से निर्णीत किया जाए, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

सिद्धांत